

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्
सहस्रधारा रोड, पोस्ट-कुल्हान
देहरादून.248001



सूचना

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् मे वैद रूप से पंजीकृत समस्त पशुचिकित्साविदों को निम्नवत सूचित किया जाता है:-

1. परिषद् के गठन हेतु निर्वाचक नामावली (अनन्तिम) का प्रकाशन विभाग की वैबसाईट (www.ahd.uk.gov.in) पर कर दिया गया है। अतः वैद रूप से पंजीकृत समस्त पशुचिकित्साविदों को सूचित किया जाता है की वह अपने नाम, पिता / पति का नाम, पता, पंजीकरण स0, मोबाईल न0 तथा ईमेल आईडी0 का भली भांती प्रकार जांच कर लें तथा यदि उनकी किसी भी प्रविष्टि मे त्रुटी हो तो लिखित रूप से (शक्यों सहित) या इस कार्यालय मे उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिकृत ईमेल के माध्यम से 30 दिन के भीतर अवगत करवाने का कष्ट करेगे।
2. यदि किसी भी सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली (अनन्तिम) मे सम्मिलित होने से छूट गया हो या किसी भी सदस्य को किसी के नाम सम्मिलित / सम्मिलित न होने पर कोई आपत्ति हो तो विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध क्रमशः प्रपत्र-एक व दो मे अपनी आपत्ति रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् को 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाने का कष्ट करेगे। आपत्तियों का निराकरण करने का अन्तिम निर्णय रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का होगा।
3. उक्त के अतिरिक्त परिषद् मे वैद रूप से पंजीकृत पशुचिकित्साविदों मे से 03 सदस्यों के नाम परिषद् के गठन हेतु शासन द्वारा नामित किये जाने हैं। वैद रूप से पंजीकृत समस्त पशुचिकित्साविदों को सूचित किया जाता है की परिषद् के गठन हेतु यदि इछुक हो तो अपना आवेदन इस कार्यालय को डाक द्वारा प्रेषित या स्वयं इस कार्यालय मे 30 दिन के भीतर प्राप्त करवा सकते हैं। आवेदन हेतु प्ररूप विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

रजिस्ट्रार